

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2017

दायर दि० 19-5-17
फैसल दि० 19-5-17

श्री धनपाल पन्ना कुमारी अनवान
बनाम रमियाती लखतिया
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री धनपाल पन्ना कुमारी ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा लखतिया के खाता नम्बर 18 जमाबन्दी सं० 2071-24
में अंकित स्वयं/पिता का नाम धनपाल पन्ना कुमारी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम धनपाल
पन्ना कुमारी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम धनपाल पन्ना
कुमारी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम धनपाल पन्ना कुमारी
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा लखतिया की जमाबन्दी संवत् 2071-24
के खाता संख्या 18 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम धनपाल पन्ना कुमारी में संशोधन कर सही नाम
धनपाल पन्ना कुमारी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

४
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा